

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू
 मोतीरान बनाम फतेहखान
 नं. संख्या / वर्ष : 134 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/6/24	<p>पत्तावली पेश हुई। पत्तावली उपरि उक्त पत्तावली अर्थात् न पवाब निकासा पीछे बंद करने हेतु निवेदन करने पर पवाब बंद किया जाता है।</p> <p>बंद उम्पनों की बुनने व पत्तावली का उपलब्ध करने के उपरान्त एक पाते हैं कि पार्श्व व उजरीगण सहयोगदार हैं व वादग्रस्त इन्हीं का विधिकार विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>उक्त: वाद की व हदुबत को रोकने व वाद की विषय-वात को बनाए रखने के लिए बन्दे प्रा. पत्र के चरण स. 2 में उक्त उम्पनों पर उम्पनों को वापस पत्तावली में न शिथिलता बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्तावली उक्त इकाय होकर 17 नवंबर 2023</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	